न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 23/2026 (Bank Case)

GCMS No.-2026/35

MUTHOOT HOUSING FINANCE LIMITED, 1D10, GROUND FLOOR, SRI ASHAPURA ENCLAVE CHITRAKOT, OPP. PRATAP STADIUM, JAIPUR-302021 जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री विमलेश सैनी।

— प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. HIRENDRA SINGH S/O RAJENDRA SINGH
   Address1: College road ke pass, police station ke pass, aktra, chatisgarh
   Address2: Shivpura RAC gate ke pass, kota, dadabari, Kota (Raj.)
   Address2: Plot no. 17, Moti Nagar, Gram- Aawali, Tehsi- Ladpura, Kota(Raj.) 324009
2. Smt. SHAKUNTALA DEVI w/o Sh. RAJENDRA SINGH
   Address1: Shivpura RAC gate ke pass, kota, dadabari, Kota (Raj.)
   Address2: Plot no. 17, Moti Nagar, Gram- Aawali, Tehsi- Ladpura, Kota(Raj.) 324009
3. Sh. RAJENDRA SINGH S/o Shri HANUMAN SINGH
   Address1: Shivpura RAC gate ke pass, kota, dadabari, Kota (Raj.)
   Address2: Plot no. 17, Moti Nagar, Gram- Aawali, Tehsi- Ladpura, Kota(Raj.) 324009

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः—

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः— 25 .02.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी MUTHOOT HOUSING FINANCE LIMITED, 1D10, GROUND FLOOR, SRI ASHAPURA ENCLAVE CHITRAKOT, OPP. PRATAP STADIUM, JAIPUR- 302021 में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 30.09.2021 को खाता संख्या MHFLCONKOT000005000945 में रूपये 4,96,629/— (अक्षरेः रूपये चार लाख छियानवें हजार छ सौ उन्तीस मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह राठौड की एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट संख्या 17, मोती नगर, गॉव— ऑवली, तह0— लाडपुरा, कोटा, राजस्थान पर स्थित है। जोकि दिनांक 23.09.2020 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 173 में पृष्ठ संख्या 64 कम संख्या 202003457100800 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 285 के पृष्ठ संख्या 148 से 159 पर चस्पा किया गया। दिनांक 23.09.2020 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय मण्डाना , कोटा में। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में— रोड, पश्चिम में—प्लॉट नं0 4, उत्तर में— प्लॉट संख्या 18, दक्षिण में— प्लॉट संख्या 17 का दक्षिणी भाग है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 28.09.2022 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के कुल बकाया रूपये 5,26,034/—रूपये (अक्षरेः— पांच लाख छब्बीस हजार चौतीस रूपये मात्र) दिनांक 23.01.2023 तक व से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.02.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे

देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.02.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.02.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह राठौड की एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट संख्या 17, मोती नगर, गॉव– ऑवली, तह0– लाडपुरा, कोटा, राजस्थान पर स्थित है। जोकि दिनांक 23.09.2020 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 173 में पृष्ठ संख्या 64 कम संख्या 202003457100800 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 285 के पृष्ठ संख्या 148 से 159 पर चस्पा किया गया। दिनांक 23.09.2020 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय मण्डाना , कोटा में। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में– रोड, पश्चिम में–प्लॉट नं0 4, उत्तर में– प्लॉट संख्या 18, दक्षिण में– प्लॉट संख्या 17 का दक्षिणी भाग है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 25 .02.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)